आजादी का अमृत महोत्सव

भीम BhIM

# राजस्थान सरकार
## नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.2(46)नविवि/कोटा/2021 जयपुर, दिनांक 27 OCT 2022

सचिव,
नगर विकास न्यास,
कोटा।

**विषयः— चम्बल रिवर फ्रन्ट के अंतर्गत Garden work Nayapura Puliya lagoon development at Rampura and other works हेतु ग्राम लाडपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की नगर निगम क्षेत्र में स्थित 9226 वर्गफीट व्यवसायिक भूमि अवाप्त किए जाने बाबत।**

**संदर्भ :— आपका पत्रांक एफ.—5/भू.आ./2021/394 दिनांक 15.11.2021 एवं पत्रांक 638 दिनांक 08.09.2022**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में राज्य सरकार में सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार नगर विकास न्यास कोटा के प्रस्तावानुसार चम्बल रिवर फ्रन्ट के अंतर्गत Garden work Nayapura Puliya lagoon development at Rampura and other works हेतु ग्राम लाडपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की नगर निगम क्षेत्र में स्थित 9226 वर्गफीट व्यवसायिक भूमि के अर्जन की सामाजिक समाघात रिपोर्ट के बहुआयामी विशेषज्ञ समूह द्वारा परीक्षणोपरांत उससे सहमति रखते हुए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 8 व राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम, 2016 के नियम 12 के अंतर्गत अवाप्त किए जाने की राज्य सरकार की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

साथ ही राज्य सरकार का विनिश्चय, प्रभावित क्षेत्रों से संबंधित नगर निगम/नगर पालिका को और आयुक्त, उपखण्ड अधिकारी, प्रशासक और तहसीलदार के कार्यालय में हिन्दी भाषा में उपलब्ध कराया जावे और प्रभावित क्षेत्रों में सहजदृश्य स्थानों में पोस्टर चिपकाकर और परिचालित पोस्टरों के रूप में परिचालन द्वारा प्रचारित करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

—sd—
(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव—प्रथम

प्रतिलिपी :—

1. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नविवि को प्रेषित कर लेख है कि उक्त रिपोर्ट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाया जाना भी सुनिश्चित करावें।
2. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव—प्रथम

# कोटा चम्बल रिवर फ्रन्ट परियोजना में Garden Work near Nayapura Puliya, Lagoon Development at Rampura and other works हेत प्रस्तावित 9226 वर्गफीट निजी बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का मूल्यांकन

वर्तमान शहरी राजनीति में शहरी जल/नदी के किनारे पुननिर्माण व सौन्दर्यीकरण की परियोजनाओं के सामाजिक आयाम तेजी से महत्वपूर्ण हो गए है। तटीय शहरी क्षेत्रों में, वाटरफ्रंट स्पेस के लिए प्रतिस्पर्धा, किनारे तक सार्वजनिक पहुंच की आवश्यकता और प्राकृतिक संसाधन के रूप में वाटरफ्रंट जैव विविधता का संरक्षण शहरी नीति में एक तेजी से बढता मुद्दा बन गया है। पानी के पास क्या बनाया जा सकता है इसे विनियमित करने के लिए नए कानून पारित किए गए है और नियोजन उपकरण विकसित किए गए है। यहा कहा जा सकता है कि समकालिन शहरी तट पुनर्विकास और पुनर्निमाण की परियोजनाएं आज शहरी नियोजन और राजनीति में एक अंतरराष्ट्रीय सरोकार का प्रतिनिधित्व करती है।

मध्यप्रदेश में महू के पास जानापाव पहाड़ी से निकलने वाली चंबल नदी राजस्थान के चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों से होकर गुजरती है। जिस पर नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा कोटा शहर को बाढ़ से बचाने के लिये रीटेनिंग वाल निर्माण के साथ–साथ चम्बल रिवर फ्रन्ट का कार्य कोटा बैराज की डाउन स्ट्रीम में चम्बल के दोनो किनारो पर किया जा रहा है।

संरचना का संक्षिप्त विवरण मय प्रस्तावित लाभ :– चंबल राज्य की एकमात्र बारहमासी नदी है। इस पर रिवरफ्रन्ट विकसित करने का उदेश्य पारिस्थितक पर्यटन को बढ़ावा देना और चंबल के दोनो किनारो की प्राकृतिक सुंदरता को बढाना है जोकि जैव विवधताओं में बहुत समृद्ध है। इसके अन्तर्गत नई पीढी को सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराने के लिए 20 मीटर की चौकी पर चंबल माता की 42 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यह अपनी तरह की पहली मूर्ति होगी। कोटा बैराज के पास मैसूर के वृंदावन गार्डन की तर्ज पर आधुनिक तकनीक से बने गार्डन में विश्व स्तरीय फाउंटेन शो का निर्माण किया जा रहा है, जिसका व्यास 40 मीटर होगा, पार्क के पूर्वी छोर पर एक संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है, जहां कोटा की विकास कहानी और कला संस्कृति नदी के किनारे के मॉडल प्रदर्शन के साथ परिलक्षित होगी।

शहरी नवीनीकरण में एक प्रक्रियां के रूप में, चंबल रिवरफ्रन्ट डेवलपमेंन्ट प्रोजेक्ट से निम्न दिशाओं में लाभ अपेक्षित है :–

- इस परियोजना के निर्माण के बाद कोटा शहर पर्यटन की दृष्टि से देश के अग्रणी शहरो में गिना जाने लगेगा।
- चम्बल रिवर फ्रन्ट के निर्माण के साथ–साथ चम्बल को प्रदूषण से मुक्त रखने का कार्य भी किया जा रहा है जिससे पर्यावरण को भी संरक्षण मिलेगा।
- इस परियोजना के पूर्ण होने पर स्थानीय रोजगार के अवसर विकसित होंगे।

रिवरफ्रन्ट के अन्तर्गत नयापुरा की ओर से नयापुरा पुलिया के किनारे 80 फीट सड़क तैयार करते हुए रिवरफ्रन्ट का मुख्य प्रवेश द्वार बनाने के उद्देश्य से श्री श्यामसुन्दर आत्मज पन्जूराम एवम् श्री परसराम आत्मज हरीशचन्द्र के निजी व्यवसायिक परिसर की भूमि के अधिग्रहण प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी। भूमि का कुल आकार 9226 वर्गफुट ( 857.43 वर्गमीटर) है। इस व्यवसायिक परिसर में कुल 25 दुकाने निर्मित है जिनमें से मुख्य रोड़ से लगी दुकानो को छोड़कर अधिकतम भाग उपयोग में नही आ रहा है। यहां बहुत ही गन्दगी और बदबू रहती है। यह स्थान खुले मूत्रालय के उपयोग में आ रहा है। इसके अधिग्रहण हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक प.2(46)नविवि/कोटा/2021 दिनांक 10.12.2021 जारी की गयी जिसकी अनुपालना में उपरोक्तानुसार भूमि अवाप्त किये जाने की आवश्यकता अधिसूचित की गयी है। इस अधिसूचना से ही भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) एवम् राजस्थान भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 के प्रावधानो के अनुसरण में प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक निर्धारण अध्ययन के लिये जिला कलेक्टर कोटा को अधिकृत किया गया है। श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय द्वारा सामाजिक समाघात रिर्पोट निर्धारण करने हेतु Aravali association for Rural Advancement through Voluntry Action and Local Involvement First Floor, Ministerial Campus, Indira Gandhi Panchayat Raj & Gramin Vikas Sansthan (IGPRS) Campus, Jawahar lal Nehru Marg. Jaipur 302015 को अधिकृत किया गया।

उक्त अधिसूचना की अनुपालना में 30 जून 2022 को समाचार पत्रो में लोक–सूचना का प्रकाशन परियोजना के निर्माण के लिये भूमि अवाप्त किये जाने की आवश्यकता से सूचित कराया गया साथ ही परियोजना के निर्माण की जानकारी देते हुये यह अवगत कराया गया कि निर्माण के लिये प्रस्तावित भूमि के अंतिरिक्त अन्य कोई इससे बेहतर विकल्प नही है और न्यूनतम आवश्यक भूमि का अधिग्रहण ही प्रस्तावित किया गया है।

उपरोक्त निर्माण लोक प्रयोजन के लिये बहुउपयोगी होने के कारण लोक सूचना में प्रकाशन के पश्चात् कोई भी आपत्ति प्रस्तुत नही हुई है।

इस सम्बन्ध में Aravali association for Rural Advancement through Voluntry Action and Local Involvement द्वारा अधिनियम की धारा 4(1), 4(4), 4(5) के प्रावधानो के अनुसार कार्यवाही करते हुए सामाजिक समाघात रिर्पोट तैयार कर जारी की गयीं।

अधिनियम की धारा 4(3) की अनुपालना में सामाजिक समाघात रिर्पोट स्थानीय स्तर पर प्रकाशित की गयी तथा अधिनियम की धारा 5 के अनुसरण में प्रभावित क्षेत्रो एवं परिवारो को इसके प्रभावो की जानकारी देते हुए उनके विचार दर्ज किये गये तथा सुनवाई में प्राप्त विचार/सुझाव को अधिनियम के प्रावधानो की सीमा तक शामिल करते हुए सामाजिक समाघात रिर्पोट अन्तिम रूप से जारी की गयी।

अधिनियम की धारा 6 के अनुसरण में अन्तिम रूप से जारी की गई सामाजिक समाघात रिर्पोट तहसील लाडपुरा, उपखण्ड अधिकारी लाडपुरा, जिला कलेक्टर कार्यालय, नगर निगम कोटा व नगर विकास न्यास में प्रकाशित कर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड की गयी।

अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में परियोजना के निर्माण के लिये अवाप्ति की प्रक्रिया में तैयार की गयी सामाजिक समाघात रिर्पोट के मूल्यांकन हेतु एक स्वतंत्र बहुशाखीय

समुह द्वारा कराया जाना आवश्यक है जिसके अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा पत्रांक प. 2(46)नविवि/कोटा/2021, जयपुर दिनांक 05.08.2022 से निम्न प्रकार स्वतंत्र बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है।

| क्र0 सं0 | सदस्य | विशेषज्ञ का नाम | पता/सम्पर्क |
|---|---|---|---|
| 1. | दो गैर सरकारी सामाजिक वैज्ञानिक | (1) प्रो. आर.के. उपाध्याय | 18–बी, मॉडल टाउन, खेडली फाटक, कोटा मो. 8005967408 |
| | | (2) डॉ0 संजय भार्गव | म.नं. 167, वल्लभबाडी, गुमानपुरा, कोटा मो. 9414434842 |
| 2. | पुनर्वास की समझ रखने वाले दो विशेषज्ञ | (1) श्री अशोक जैन | म.नं. 2, जुपिटर स्कूल के पास, पुराने यातायात ऑफिस के पीछे, गुलाबबाडी, कोटा |
| | | (2) श्री वासुदेव रामचन्दानी | बी–506, इन्द्रा विहार, तलवण्डी, कोटा मो. 9414178545 |
| 3. | नगर निगम के सदस्यों में से दो प्रतिनिधि | (1) श्री अनिल सुवालका, पार्षद, नगर निगम कोटा (उत्तर) | म. नं. ख–9, अम्बेडकर नगर, कुन्हाडी, कोटा, मो. 9929142765 |
| | | (2) श्री अब्दुल सलीम, पार्षद, नगर निगम कोटा (उत्तर) | कर्बला, लाडपुरा, जिला कोटा, मो. 9462982243 |
| 4. | तकनीकी विशेषज्ञ एवं अध्यक्ष समिति | श्री ओ0 पी0 वर्मा, मुख्य अभियन्ता | नगर विकास न्यास, कोटा |

सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह समिति को दिनांक 19.08.2022 को मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत की गयी। अध्यक्ष विशेषज्ञ समूह द्वारा रिर्पोट में मूल्यांकन हेतु दिनांक 20.08.2022 को प्रस्तावित परियोजना स्थल का भौतिक निरीक्षण किया गया। समूह द्वारा प्रस्तुत की गयी सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का अध्ययन अधिनियम की धारा 4(1), 4(5) में उल्लेखित प्रावधानो के सन्दर्भ में किया गया।

**बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह का मूल्यांकन :–** नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा ग्राम लाडपुरा तहसील लाडपुरा की 9226 वर्गफीट निजी व्यवसायिक भूमि चम्बल रिवर फ्रन्ट परियोजना में Garden Work near Nayapura Puliya, Lagoon Development at Rampura and other works हेतु प्रस्तावित विकास कार्य से प्रभावित होती है जिसका अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार समुचित मुआवजा भुगतान प्रक्रियाधीन है। अतः विस्तृत विवेचन के पश्चात् बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह समिति द्वारा एकमत होकर निम्न राय व्यक्त की गयी :–

1. Garden Work near Nayapura Puliya, Lagoon Development at Rampura and other works हेतु प्रस्तावित प्रवेश मार्ग के निर्माण के लिए उक्त प्रस्तावित व्यवसायिक परिसर की भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भूमि इस क्षेत्र में उपयुक्त नही है।
2. प्रवेश मार्ग के लिए तय किये गये स्थान का कोई अन्य बेहतर विकल्प नही है।
3. क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के अनुसार अवाप्ति हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल न्यूनतम आवश्यकता के अनुरूप है।
4. प्रस्तावित निर्माण आम–जन, स्थानीय रोजगार के संसाधनो में वृद्धि, पर्यटन, जल प्रदूषण आदि की दृष्टि से सार्वजनिक रूप से लाभकारी होंगा।
5. प्रस्तावित व्यवसायिक परिसर में किसी परिवार का आवासीय रहवास नही है। अतः आवासीय रूप से किसी परिवार का विस्थापन नही होगा, अपितु उक्त परिसर में मुख्य मार्ग से लगी 4 दुकाने क्रयशुदा एवम् 5 दुकानो में किरायेदार है जिनके

व्यवसायिक पुनर्वास की व्यवस्था परियोजना के निकट अन्य भूमि में नगर विकास न्यास कोटा द्वारा व्यवसायिक दुकानो का निर्माण कर पुनर्वासन की सम्पूर्ण व्यवस्था कर ली गयी है।

6. परियोजना के निर्माण से जनउपयोगी और सामाजिक सारोकार वाली किसी सम्पत्ति/परिसम्पत्ति यथा–सड़क, नाली, पेयजल, पशुजल, डाकघर, उचित मूल्य की दुकान इत्यादि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नही है। अपितु क्षैत्र में सार्वजनिक जनसुविधाओ में वृद्धि होगी।
7. अवाप्ति के पश्चात् प्रस्तावित विकास कार्य के पूर्ण होने पर क्षैत्र का सर्वांगीण विकास होगा। क्षैत्र में रोजगार के साधान विकसित होंगे। पर्यटन को बढावा मिलेगा। फलस्वरूप स्थानी नागरिको का आर्थिक विकास होगा। परियोजना के निर्माण से किसी व्यक्ति की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभावित नही है।

Garden Work near Nayapura Puliya, Lagoon Development at Rampura and other works **प्रोजेक्ट चम्बल रिवरफ्रन्ट के अन्तर्गत नयापुरा चौराहे की ओर से नयापुरा पुलिया के किनारे 80 फीट चौड़ी सम्पर्क सड़क के मुख्य प्रवेश द्वार बनाने के उद्देश्य से श्री श्यामसुन्दर आत्मज पन्जूराम एवम् श्री परसराम आत्मज हरीशचन्द्र की 9226 वर्गफुट निजी व्यवसायिक परिसर की भूमि के अधिग्रहण के सम्बन्ध में सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह का निष्कर्ष** :–

बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का मूल्यांकन किया गया। प्रस्तावित परियोजना के लिए अवाप्ति हेतु प्रस्तावित भूमि न्यूनतम आवश्यकता के अनुरूप ही है। प्रस्तावित स्थल पर सम्पर्क सड़क एवम् प्रवेश द्वार के निर्माण से किसी स्थानीय बसावट के प्रभावित होने की सम्भावना नही है। प्रस्तावित भूमि पर अवस्थित दुकानो में व्यवसायिक गतिविधियों मे लगे दुकानदारो के पुनर्वास की व्यवस्था निकटतम स्थल पर दुकानो का निर्माण कराया जाकर किया जा रहा है। अतः परियोजना के निर्माण से मिलने वाले प्रस्तावित लाभों/उपयोगिता को देखते हुए परियोजना की लागत की तुलना में ज्यादा लाभकारी प्रतीत होती है। तदानुसार बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह के समक्ष प्रस्तुत सामाजिक समाघात रिर्पोट का मूल्यांकन किया जाता है।

दिनांक :– 29.08.2022

| | | | |
|---|---|---|---|
| प्रो. आर.के. उपाध्याय<br>(सामाजिक वैज्ञानिक) | डॉ0 संजय भार्गव<br>(सामाजिक वैज्ञानिक) | श्री अशोक जैन<br>(पुनर्वास विशेषज्ञ) | श्री वासुदेव रामचन्दानी<br>(पुनर्वास विशेषज्ञ) |
| श्री अनिल सुवालका,<br>पार्षद, नगर निगम कोटा (उत्तर) | श्री अब्दुल सलीम,<br>पार्षद, नगर निगम कोटा (उत्तर) | श्री ओ0 पी0 वर्मा,<br>मुख्य अभियन्ता (अध्यक्ष) | 29/8/2022 |